तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/1357 सरोज देवी बनाम उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
06.08.2025	पत्रावली अपीलान्ट की ओर श्री कमलेश कुमार जाट एड. ने वकालतनामा मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. बाबत शीघ्र सुनवाई एवं विड्रा अपील प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज पेश हुई। शा.फा.हो। वकील अपीलार्थीया श्री कमलेश कुमार जाट एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अपील विड्रो करने के तथ्य को दोहराते हुए कथन किया कि उपयुक्त उनवानी अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 15.10.2025 नियत है। प्रकरण में अपीलार्थीया अपने न्यायिक उपचार के अन्य अधिकार को सुरक्षित रखते हुए वर्तमान अपील को विड्रा करनी चाहती हैं। प्रकरण की अत्यावश्यक प्रकृति को देखते हुए पत्रावली को तलब कर आज की तारीख पेशी में लिया जाना प्रार्थनीय है। अपील को विड्रा कर लिये जाने से प्रत्यर्थीगण को कोई विधिक हानि नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त उनवानी अपील की पत्रावली को आज पेशी में ली जाकर अपील को विड्रा करने की स्वीकृति प्रदान की जावे। हमने अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया जिससे जाहिर होता है कि अपीलार्थीया स्वंय ही उक्त अपील में कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती हैं। ऐसी स्थिति में अब इस अपील को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। वकील अपीलांट्स द्वारा सरोज देवी पत्नी युजवेन्द्र के प्रार्थना पत्र को पहचान के रूप में सत्यापित किया गया है। अतः अपीलार्थीया का प्रा. पत्र अपील विड्रो किये जाने स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीया स्वंय अपील विड्रो किये जाने के कारण अपील अपीलार्थीया खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर पूर्ति लेख भण्डार हो। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर	I.f. कमलेश कुमार जाट एडवोकेट